



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)
(सं० पटना 744) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@lh0&10113@2009-7923/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 अगस्त 2021

श्री चितरंजन प्रसाद (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1075/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, अस्थावाँ प्रखंड, नालन्दा के पदस्थापन अवधि में जन प्रतिनिधियों एवं कार्यालय कर्मियों के साथ सम्मानपूर्वक मर्यादित व्यवहार नहीं करने, प्रमुख की सहमति के बिना पंचायत सचिव की बैठक निर्धारित करने एवं तानाशाही रवैया अपनाने के आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10774 दिनांक 25.11.2009 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 4851 दिनांक 16.10.2009 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रसाद के विरुद्ध निम्न आरोप है :-

आरोप-01 — माननीय विधायक श्री जितेन्द्र कुमार के द्वारा इस संबंध में श्री प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच श्री ओ०ए०एम० बंदे, अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना किया गया। उनके द्वारा जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उनके जाँच के दौरान स्थानीय उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों ने एक स्वर से इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही बताते हुए कहा कि किसी भी समस्याओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी श्री चितरंजन प्रसाद द्वारा निष्पादन के लिए कभी भी व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते थे और उल्टे जब इस संबंध में उनसे मिलने जाते थे तब धमकी भरे शब्दों का प्रयोग हमेशा करते थे, यहाँ तक कि अस्थावाँ पदस्थापन काल में जन प्रतिनिधियों पर हमेशा प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी एवं अपशब्द कहते हुए कार्यालय से बाहर चले जाने को कहते थे। जाँच के दौरान अपर सचिव का प्रखंड एवं अंचल कार्यालय कर्मियों ने भी बताया कि श्री प्रसाद का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं रहा।

आरोप-02 — अपर सचिव के समक्ष पंचायत समिति के कार्यकारणी समिति ने बताया कि राज्य सरकार एवं जिला पदाधिकारी के स्तर से जो भी जनोपयोगी योजना प्रखंड में आती थी उसके संबंध में श्री प्रसाद के द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती थी और न योजनाओं के चयन में प्रमुख, उपप्रमुख आदि का सहमति लेना उचित नहीं समझते थे।

आरोप-03 — जाँच के समय जाँच पदाधिकारी को प्रमुख अस्थावां प्रखंड ने यह भी बताया कि श्री चितरंजन प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अस्थावां बिना मेरी सहमति या बिना मेरी जानकारी में दिये ही पंचायत समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करते रहे।

आरोप-04 — जाँच पदाधिकारी श्री बंदे ने अपने जाँच प्रतिवेदन में यह भी सरकार को प्रतिवेदित किया है कि श्री प्रसाद अपने अस्थावां कार्यकाल में सरकारी कार्य एवं योजनाओं के निष्पादन में अभिरुचि कम एवं जनप्रतिनिधियों एवं कार्यालय कर्मियों के साथ तानाशाही रवैया एवं अमर्यादित व्यवहार करते रहे हैं जिससे कार्यालय कर्मी एवं जन प्रतिनिधि काफी क्षुब्ध रहें। यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी, नालंदा ने भी जाँच पदाधिकारी को श्री प्रसाद के समक्ष इस व्यवहार की सम्पुष्टि की है।

विभागीय पत्रांक 13431 दिनांक 08.10.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद के पत्रांक 1123 दिनांक 31.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक 6560 दिनांक 06.07.2020 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 303739 दिनांक 12.10.2020 द्वारा श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रसाद जन प्रतिनिधियों से सहयोग नहीं करते थे, जनता के लाभकारी योजनाओं की सूचना उन्हें नहीं देते थे, बिना प्रमुख की सहमति के पंचायत सचिव की बैठक करते थे और उनका व्यवहार अमर्यादित था। श्री प्रसाद का जन प्रतिनिधियों के साथ सहयोग नहीं करना अलोकतांत्रिक व्यवहार तथा विभागीय आदेश 8841 दिनांक 20.06.2012 का अवहेलना को दर्शाता है। सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चितरंजन प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1075/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, अस्थावां प्रखंड, नालंदा के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों से सहयोग नहीं करने, जनता के लाभकारी योजनाओं की सूचना उन्हें नहीं देने, बिना प्रमुख की सहमति के पंचायत सचिव की बैठक करने एवं कार्यालय कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने संबंधी आरोपों के लिए **निन्दन (आरोप वर्ष 2012-13)** का दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को माननीय सांसदों/विधायकों/पार्षदों के साथ शिष्टाचार एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार हेतु पूर्व से निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन हेतु निदेश देने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चत दण्ड के प्रस्ताव पर श्री चितरंजन प्रसाद (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1075/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, अस्थावां प्रखंड, नालंदा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत **निन्दन (आरोप वर्ष 2012-13)** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। श्री प्रसाद भविष्य में माननीय सांसदों/विधायकों/पार्षदों के साथ शिष्टाचार एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार हेतु पूर्व से निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 744-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>